FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत S.D.O. मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नं. 45/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
1-6-17	[illegible] उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाडा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)

बईजलास श्री करतार सिंह आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– / 17

दिनांक :– 1-6-17

1. बन्नालाल पिता उदा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
2. राधाकिशन पिता सांवला गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
3. मांगीलाल पिता ईश्वर जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर

––प्रार्थी,

//बनाम//

1. कैलाश पिता खाना जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
2. रावता पिता भोजा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
3. कालू पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
4. सोजी पिता प्रभू जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
5. देवकरण पिता नन्दा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
6. रामलाल पिता छीतर जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर
7. बाबूलाल पिता कल्याण गुर्जर निवासी सवाईपुरा प.ह. उलेला तहसील जहाजपुर

– अप्रार्थी,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान ले.रे.एक्ट

:: आदेश :

दिनांक– 1-6-17

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम **सवाईपुरा** पटवार हल्का **उलेला** तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज. की कृषि आराजी नम्बर 41 रकबा 2.01 बीघा, 32/1 रकबा 0.18 बीघा, 40 रकबा 1.17 बीघा, 25/1 रकबा 0.08 बीघा, 32/3 रकबा 0.16 बीघा कृषि भूमि स्थित है, जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से पडासीयो द्वारा आये दिन हंकाई बुवाई करते समय सीमाओ को लेकर विवाद करते रहते है जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता कि ग्राम **सवाईपुरा** पटवार हल्का **उलेला** तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज. की कृषि आराजी नम्बर 41 रकबा 2.01 बीघा, 32/1 रकबा 0.18 बीघा, 40 रकबा 1.17 बीघा, 25/1 रकबा 0.08 बीघा, 32/3 रकबा 0.16 बीघा मे बसामलात पडौसीयान के पत्थरगढी करने हेतु भू.अभिलेख निरीक्षक पीपलून्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कमीश्नर फीस 800 रू0 तय किये जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रूपये राजकोष मे जमा करावे एंव पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 1-6-17 को राजस्व लोक अदालत मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर